89

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 144—दो/2011 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 02—12—2010 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 203/2008—09/अपील

.....

भरोसी पुत्र ल्होरे राम शिवहरे
निवासी— ग्राम बधरेटा, तहसील कैलारस
जिला —मुरैना,(म0प्र0)

.....आवेदक

विरूद्ध

1— अशोक कुमार पुत्र ल्होरे राम शिवहरे
निवासीग— ग्राम बधरेटा तहसील कैलारस
जिला—मुरैना (म0प्र0)

.....असल अनावेदक

2— रामजीलाल पुत्र मदनू
3— सुरेश पुत्र मदनू शिवहरे
निवासीगण— ग्राम बधरेटा, तहसील कैलारस
जिला—मुरैना, (म0प्र0)

..... तरतीवी अनावेदकगण

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी0एम0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 203/2008—09/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 02—12—2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम बधरेटा स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 246 रकबा 0.397 के अंशभाग रकबा 1 बीघा 3 विस्वा भूमि पर कब्जा अंकित कराने हेतु आवेदक ने न्यायालय तहसीलदार कैलारस के समक्ष को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रकरण क्रमांक 14/2007–8/अ–6–अ पर दर्ज किया जाकर विधिवत रूप से राजस्व निरीक्षक से तहसीलदार ने मौके की जांच मंगाई गई तथा अनावेदकगण को सूचना जारी की गई। तहसील न्यायालय ने आवेदक एवं अनावेदक के साक्षी तथा मौजा पटवारी के कथन अंकित किये गये, इसी दौरान तरतीवी अनावेदकगण ने तहसील न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की, जिसका निराकरण तहसीलदार द्वारा विधिवत रूप से किया जाकर दिनांक 11.02.2009 को उक्त विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा इन्द्राज करने का आदेश पारित किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 15/2008–09/अपील में पारित आदेश दिनांक 05.05.2009 से अपील स्वीकार कर तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया । जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 203/2008–09/अपील में दर्ज होकर दिनांक 02.12.2010 को अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ के आदेश को यथावत रखते अपर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण की वास्तविक स्थिति को समझना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया। जबकि अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपने आदेश में यह पाया है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम प्रत्यावर्तित आदेश है तो गुणदोषों पर विचार कर आदेश पारित किया जा सकता था । प्रकरण की परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार न कर गलत आदेश पारित किया है । अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ व तहसीलदार कैलारस का रिकार्ड उपलब्ध होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में जल्दबाजी की गई है । ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।